रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

प्रभारी

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 2004/चैत्र 3, 1926
No. 146] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 2004/CHAITRA 3, 1926

## विद्युत मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2004

**सा.का.नि. 206(अ).**—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन के लिए फीस के संदाय के बारे में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन के लिए फीस नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(ख) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; और

(ग) उन पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं।

3. **अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन करने के लिए फीस.**—(1) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए धारा 14 के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ केवल एक लाख रुपए फीस होगी।

(2) फीस सहायक सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के पक्ष में मांग देय ड्राफ्ट के माध्यम से भेजी जाएगी।

[फा. सं. 23/19/2003-आर एंड आर]

अजय शंकर, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF POWER

## NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2004

**G.S.R. 206(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules regarding payment of fees for application for grant of licence under sub-section (1) of Section 15, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Fees for Making Application for Grant of Licence Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003;

(b) "section" means a section of the Act; and

(c) expression used and not defined in these rules but defined in the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. **Fees for making application for grant of licence.**—(1) Every application under Section 14 for grant of licence by the Central Electricity Regulatory Commission, shall be accompanied by a fee of rupees one lakh only.

(2) The fee shall be remitted through demand draft in favour of the Assistant Secretary, Central Electricity Regulatory Commission.

[F. No. 23/19/2003-R&R]

AJAY SHANKAR, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.